अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 राजस्व शेयरिंग पद्धति

नई दूरसंचार नीति-1999 (एन टी पी-99) जो अप्रैल 1999 से प्रभाव में आयी, ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में राजस्व शेयरिंग की पद्धति प्रारम्भ की। इस पद्धति के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जिन्होंने दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) द्वारा जारी किये गये लाइसेंस को रखा था, दूरसचांर सेवाएं अर्थात यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेस (यू ए एस), नेशनल लांग डिसटेन्स (एन एल डी) सेवाएं, इंटरनेशनल लांग डिसटेन्स (आई एल डी) सेवाएं, वेरी स्माल एपरेचर टर्मिनल (वी सैट) सेवा और इंटरनेट सर्विसेस, को सरकार को वार्षिक लाइसेंस फीस के रूप में समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का एक निश्चित प्रतिशत भुगतान करना है। राजस्व शेयर के भुगतान के लिए सकल राजस्व (जी आर) और ए जी आर, दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और सेवा प्रदाताओं के मध्य समझौते में परिभाषित है। जब भुगतान योग्य लाइसेंस फीस (एल एफ) की दर सेवा के प्रकार और सेवा क्षेत्र[1] की कैटेगरी, जहां सेवा 2012-13 तक दी गयी थी, से सम्बन्धित किये गये थे, 1 अप्रैल 2013 से सर्विस क्षेत्र की कैटेगरी से निरपेक्ष, सभी सेवाओं के लिए लाइसेंस फीस की एक समान दर प्रारम्भ की गयी थी।

सेवाओं की श्रेणी और एल एफ की देय प्रतिशतता को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 11 संघ सरकार (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) में प्रस्तुत किया गया है **(परिशिष्ट I)**।

1.2 विभिन्न लाइसेंसों में सकल राजस्व (जी आर)/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मध्य हुआ लाइसेंस समझौता, दूरसंचार सेवा प्रदान करने की सेवा शर्तों को नियमित करता है। लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार लाइसेंसी कम्पनियों द्वारा एक लाइसेंस सेवा से सूचित ए जी आर के सहमत प्रतिशत की दर पर डी ओ टी को वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान किया जाना था। डी ओ टी द्वारा जारी विभिन्न लाइसेंसों[2] में सकल राजस्व (जी आर), कटौतियां और समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2017 के संघ सरकार (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) की रिपोर्ट संख्या 11 में शामिल हैं **(परिशिष्ट II)**। खातों की तैयारी और लाइसेंस शुल्क के भुगतान में महत्वपूर्ण आवश्यकताएं भी निर्दिष्ट रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं **(परिशिष्ट III)**।

---

[1] देश, 23 सेवा क्षेत्रों जिसमें 19 दूरसंचार परिमण्डल एवं 4 मैट्रो परिमण्डल हैं, में विभाजित किया गया था। बाद में चैन्नई सेवा क्षेत्र को तमिलनाडु सेवा क्षेत्र में विलय कर लिया गया था जिससे अब सेवा क्षेत्रों की संख्या 22 है।

[2] यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) और यूनिफाइड लाइसेंस (यू एल), नेशनल लॉग डिसटेन्स (एन एल डी), इंटरनेशनल लॉग डिसटेन्स इंटरनेट सेवायें और वेरी स्मॉल एपरेंचर टर्मिनल।

1.3 लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार के संग्रहण, लेखांकन और मूल्यांकन की डी ओ टी में व्यवस्था

डी ओ टी ने, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किये गये राजस्व हिस्सेदारी के संग्रहण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की है।

तालिका - 1.1

प्रक्रिया	सम्बन्धित कार्यालय
➢ लाइसेंस फीस एवं स्पैक्ट्रम चार्जेज का संग्रहण	एल एस ए में नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) कार्यालय
➢ ए जी आर हेतु जी आर से कटौती के लिए पी एस पी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन	सी सी ए कार्यालय
➢ प्रचालक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं और सी सी ए द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी का अभिकलन और डिमांड नोट जारी करना	डी ओ टी का लाइसेंस फाइनेंस विंग
➢ एस यू सी का अभिकलन	डी ओ टी/सी सी ए कार्यालयों का डब्ल्यू पी एफ विंग

1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के धारा 16 एवं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा–खाताओं एवं अन्य दस्तावेजों का रखरखाव) नियम 2002 के नियम 5 (ii) के अधिदेश, जो भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल 2014 के निर्णय द्वारा मान्य ठहराये गए, के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2014-15 में छः[3] दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के 2006-07 से 2009-10 तक के चार वर्ष के लेखाओं का मूल लेखाकरण अभिलेखों एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष संघ सरकार (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2016 की प्रतिवेदन संख्या 4 में बताया गया था।

पांच दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने पूर्व में (मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज़ लिमिटेड व इसकी सह कम्पनी मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड को छोड़कर) 2010-11 से 2014-15 तक के चार वर्ष के लेखे शामिल करके एवं मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलिसर्विसेज़ लिमिटेड के 2006-07 से 2014-15 के लेखाओं का लेखापरीक्षा 2016 में लिया गया था और लेखापरीक्षा निष्कर्ष संघ सरकार (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2017 की प्रतिवेदन संख्या 11 में शामिल किये गये हैं।

[3] मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनी भारती हैक्साकॉम लिमिटेड, मैसर्स वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियां मैसर्स रिलाइंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनी मैसर्स रिलाइंस टेलीकॉम लिमिटेड, मैसर्स आइडिया सेलूलर लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनी आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लिमिटेड, मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज लिमिटेड और इसकी सह कम्पनी मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेड, मैसर्स एयरसेल लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियां एयरसेल सेलूलर लिमिटेड और डिशनेट वायरल लिमिटेड।

इस रिपोर्ट में शामिल पांच ऑपरेटरों की लेखांकन अवधि के साथ–साथ बाजार हिस्सेदारी का ब्यौरा नीचे तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2

क्रम संख्या	ऑपरेटर का नाम	लेखापरीक्षा में कवर की गई लेखांकन अवधि	31 मार्च 2015 तक बाजार हिस्सेदारी (अभिदाताओं की संख्या करोड़ में)
1.	मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज़ लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनी मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टाटा)	2010-11 से 2014-15	6.80
2.	मैसर्स टेलीनोर (टेलीनोर) कम्युनिकेशन लिमिटेड (टेलीनोर)	2009-10 से 2014-15	4.56
3.	मैसर्स विडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड (वी टी एल)	2009-10 से 2014-15	0.71
4.	मैसर्स क्वाड्रंट टेलिवेन्चर लिमिटेड (क्यू टी एल)	2006-07 से 2014-15	0.30
5.	मैसर्स रिलांइस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आर जे आई एल)	2012-13 से 2014-15	वर्ष 2012-2015 के दौरान कम्पनी ने एक्सेस सेवाओं से संबंधित अपनी वाणिज्यिक सेवायें शरू नहीं की थी
	कुल		**12.37**

लेखापरीक्षा में शामिल पांच आपरेटरों द्वारा बताए गये सकल राजस्व नीचे दिखाये अनुसार हैं:

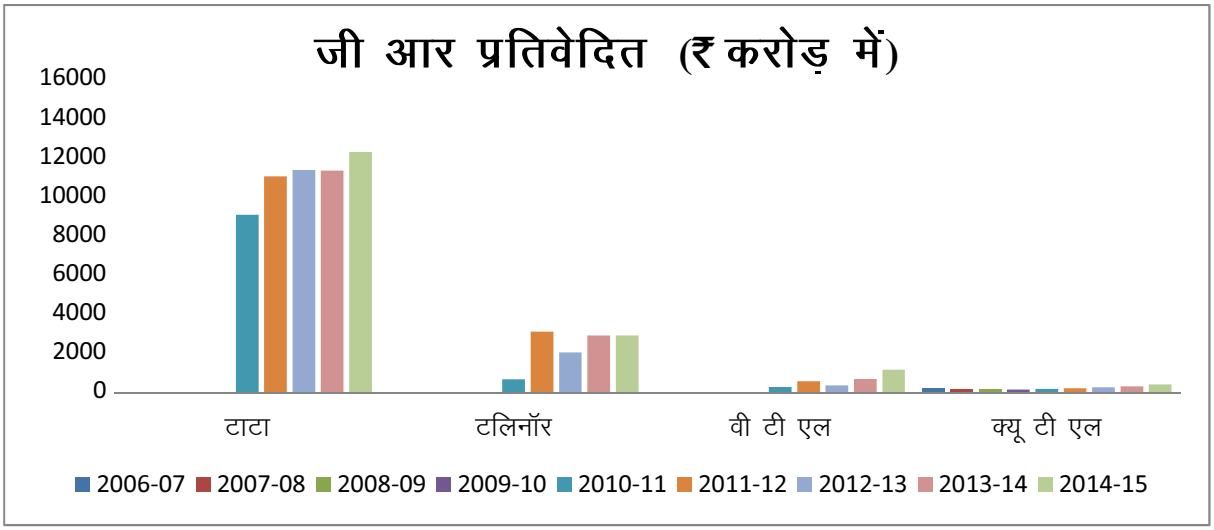

नोट: 1. क्यू टी एल का जी आर लेखापरीक्षा में शामिल सभी नौ साल के लिये है।
2. आर जी आई एल का जी आर शून्य था, चार्ट में नहीं दिखाया गया है।

1.5 लेखापरीक्षा पद्धति

सभी प्रचालकों ने अपनी वित्तीय प्रणाली (ओरेकल फाइनेंशियल अथवा एस ए पी) के सामान्य बही खाता (जनरल लेज़र) पूछताछ मॉड्यूल लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराए। मुद्दे की पहचान करने के लिए विस्तृत परीक्षण हेतु लेखापरीक्षा में लेखा कोड जो लाइसेंस अनुबन्ध के अनुरूप सकल राजस्व एवं राजस्व शेयरिंग के उद्देश्य से कटौतियों से सम्बन्धित थी, की छानबीन नमूना जांच के आधार पर की गई। लेखापरीक्षा में सकल राजस्व के प्रस्तुतीकरण हेतु अपना लेखा तैयार करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रचालकों द्वारा किए गए अनुपालन का भी परीक्षण किया गया। लाइसेंसी ने ए जी आर विवरण पत्रों तथा सेवा राजस्व, अन्य आय एवं लाभ हानि खातों की वित्तीय आय का समाशोधन जो ट्रायल बैलेंस (टी बी) द्वारा उचित प्रकार से पता लगाया था, उपलब्ध कराया। अतिरिक्त आकड़ें, सूचना और स्पष्टीकरण, जब आवश्यकता हुई, लेखापरीक्षा पूछताछ के माध्यम से एवं संबंधित प्रचालकों के साथ विचार-विमर्श करके प्राप्त किए गए।

सभी प्रचालकों के साथ निकास बैठकें आयोजित की गई, जिनमें प्रारंभिक निष्कर्षों/प्रेक्षणों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रचालक अनुसार प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को दूरसंचार विभाग तथा संबंधित प्रचालकों को अग्रिम प्रति के साथ लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार/प्रतिक्रिया जानने के लिए, जारी की गई। यह रिपोर्ट प्रचालकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं/प्रत्युत्तरों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए प्रमुख मानदंड है:

- समय समय पर संशोधित किए गए लाइसेंस अनुबंध के प्रावधान
- लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार के संग्रहण पर दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए विविध अनुदेश

1.7 आभार

इस लेखापरीक्षा को सुगम बनाने में सभी पांच दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रबधन एवं दूरसंचार विभाग के द्वारा किए गए सहयोग की हम हार्दिक सराहना करते हैं।